भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2664

मंगलवार, 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक अवसंरचना का विकास

2664. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेष रूप से पिछड़े और आकांक्षी जिलों में, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक अवसंरचना के विकास, विनिर्माण को बढ़ावा देने और आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात-उन्मुख उद्योगों की क्षमता वाले जिलों की पहचान की है तथा 'निर्यात हब के रूप में जिले' (डीईएच) जैसी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी पहलों के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप्स तथा स्थानीय उत्पादकों को घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत सरकार ने निवेश को सुगम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के अवसंरचना का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित किया गया है। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-I** में है।

मेक इन इंडिया पहल के भाग के रूप में, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों को 14 प्रमुख क्षेत्रों में लागू किया गया है, नामतः व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, बल्क

ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, एडवास्ड केमेस्ट्री सेल बैटरी, सौर पीवी मॉड्यूल, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, विशिष्ट इस्पात, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन घटक, वृद्धिशील उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहन। पीएलआई स्कीमों ने चिह्नित क्षेत्रों में नए निवेश को सुगम बनाया है और विनिर्माण क्षमताओं के विस्तार को सहायता प्रदान की है।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है, रोजगार सृजन हुआ है और निर्यात में वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2026 तक, पीएलआई स्कीमों के 14 क्षेत्रों में 892 आवेदन अनुमोदित किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप देश भर में 2.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वास्तविक निवेश, 22.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन/बिक्री, 14.15 लाख से अधिक व्यक्तियों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) का रोजगार सृजन हुआ है। ये आउटकम विनिर्माण क्षमता के विस्तार, उत्पादन को बढ़ाने, औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने और भाग लेने वाले क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए स्कीमों के योगदान को दर्शाते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्षेत्र विशिष्ट स्कीमें और राज्य सरकार की स्कीमें भी औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं।

नीति आयोग ने जनवरी, 2018 में, आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) शुरू किया, जिसमें 117 जिलों की आकांक्षी जिलों के रूप में पहचान की गई थी। यह एडीपी, डेल्टा रैंकिंग पद्धति के आधार पर इन जिलों की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है, जो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों से संबंधित 49 प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के संदर्भ में तिमाही के दौरान उनके द्वारा की गई प्रगति के लिए जिलों को पुरस्कृत करता है। एडीपी की व्यापक कार्यनीति 3-सी पर टिकी हुई है–अभिसरण (केंद्रीय और राज्य स्कीमों के बीच), सहयोग (केंद्र, राज्य, जिला प्रशासन, विकास भागीदारों और नागरिकों के बीच) और प्रतिस्पर्धा (जिलों के बीच)।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) भारत के औद्योगिक परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है, जिसके अंतर्गत 20 अनुमोदित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजनाओं और 306 परिचालित प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास किया जा रहा है, जबकि 20 अन्य परियोजनाएं प्रगति पर हैं। राज्यों और निजी भागीदारों के सहयोग से विकसित इन परियोजनाओं का उद्देश्य, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ नवप्रयोग, सतत विकास और

रोजगार को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र में एयूआरआईसी, जो भारत के पहले ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों में से एक है, इस विजन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहां राजमार्गों, ड्राई पोर्ट, हवाई अड्डों और रेलमार्गों के माध्यम से मजबूत मल्टी-मोडल संपर्क तंत्र उपलब्ध हैं, और ये सभी लॉजिस्टिक्स दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के मामले में पीएम गतिशक्ति के अनुरूप है।

एनआईसीडीपी का सहयोग करते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 विश्व-स्तरीय औद्योगिक पार्कों की स्थापना के उद्देश्य से 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय से भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) शुरू की है। डीपीआईआईटी के तहत एनआईसीडीसी द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 'भव्य' योजना के तहत 100-1000 एकड़ क्षेत्र वाले औद्योगिक पार्कों के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी, इसमें सड़कों, उपयोगिताओं, आईसीटी प्रणालियों जैसी मुख्य अवसंरचना के साथ-साथ फैक्ट्री शेड, प्रयोगशालाएं और वेयरहाउसिंग जैसी मूल्य-वर्धित सुविधाएं तथा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुविधाएं भी शामिल होंगी। चुनौती-आधारित चयन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए और पीएम गतिशक्ति के तहत निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के माध्यम से 'भव्य' का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना, निवेश आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना तथा सतत, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

(ग) और (घ): सरकार ने, इस पहल के तहत जिलों से निर्यात क्षमता की पहचान करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना शामिल है। जमीनी स्तर पर निर्यात विकास को सुविधाजनक बनाने और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए, देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं (जीआई उत्पादों, कृषि क्लस्टरों और खिलौना क्लस्टरों सहित) की पहचान की गई है और निर्यात संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करने और जिलों में निर्यात विकास हेतु बाधाओं को दूर करने के लिए देश के सभी जिलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र बनाया गया है।

इस पहल का मुख्य परिचालन तंत्र जिला निर्यात कार्य योजनाओं (डीईएपी) पर निर्भर है, जो केंद्रीय, राज्य और जिला हितधारकों के सहयोग से डीईपीसी द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। ये योजनाएं प्रत्येक जिले के लिए निर्यात क्षमता वाले प्रमुख उत्पादों और सेवाओं की पहचान करती हैं, आवश्यक कार्यों की रूपरेखा तैयार करती हैं और उत्पादन चरण से लेकर निर्यात चरण तक स्थानीय उद्योग द्वारा आवश्यक सहायता की पहचान करती हैं, विशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला

बाधाओं का विवरण प्रदान करती हैं और लक्षित शमन रणनीतियों का प्रस्ताव करती हैं।

डीईएच फ्रेमवर्क के भाग के रूप में, 734 जिलों में निर्यात-संभावित उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है; सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एसईपीसी और डीईपीसी का सफलतापूर्वक गठन किया गया है; और 713 जिलों के लिए डीईएपी तैयार किए गए हैं, जिनमें से 249 पर औपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया गया है और उनके संबंधित डीईपीसी द्वारा अपना लिया गया है।

विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के आगमन के साथ, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एफटीपी 2023 के अध्याय 3 के तहत 'निर्यात हब पहल के रूप में जिलें' को शामिल करके इस कारण को वैध बनाया है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले की क्षमता और विविध पहचान को निर्यात हब बनाने के लिए चैनलबद्ध करना है।

(ड़): "मेक इन इंडिया" पहल के तहत अन्य प्रमुख उपाय शुरू किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, जीआईएस आधारित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, मल्टी-मोडल अवसंरचना की एकीकृत योजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना मॉनीटरिंग समूह, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए कार्यकलाप, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय, श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाना, माल एवं सेवा कर लागू करना, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के नीतिगत उपाय शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से पूरा करती है। इसमें अन्य के साथ-साथ विभिन्न स्कीमें और कार्यक्रम शामिल हैं, जो निम्नानुसार है:-

(i) **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** पीएमईजीपी के अंतर्गत गैर-कृषिगत क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें विनिर्माण उद्यमों के लिए 50 लाख रुपए की परियोजना लागत तथा सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत निर्धारित है।

(ii) **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम:** यह स्कीम एमएसई को प्रदान किए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण गारंटी उपलब्ध कराने हेतु सूक्ष्म

एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है।

(iii) **आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष:** यह कोष एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए तथा निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंडों के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रावधान है। वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष के टॉपअप के लिए बजट 2026-27 में 2000 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की गई है, ताकि सूक्ष्म उद्यमों को निरंतर सहायता प्रदान की जा सके और उनकी जोखिम पूंजी तक पहुंच बनी रहे।

(iv) **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के** तहत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) नागरिकों और एमएसएमई के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए उपयोगिता, शासन और मांग आधारित सेवाओं के रूप में डिजिटल अवसंरचना संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। एमएसएमई द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से डिजिटल भुगतान भी किया जाता है।

स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरूआत 16 जनवरी, 2016 को की गई थी, जिसका उद्देश्य नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए लगातार विभिन्न प्रयास कर रही है। प्रमुख स्कीमें, नामतः स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके।

उद्यम पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए ₹ 10,000 करोड़ के कोष के साथ एफएफएस की स्थापना की गई है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है जो उस पूंजी को आगे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। दिनांक 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ ने 1,460 चयनित स्टार्टअप में 27,902.70 करोड़ रू. का निवेश किया है। एसआईएफएस इनक्यूबेटरों के माध्यम से प्रारंभिक चरण के

स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएफएस 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है।

30 जून 2026 तक, स्कीम के तहत चयनित इनक्यूबेटरों ने 4,245 स्टार्टअप्स को ₹ 706.33 करोड़ की निधि की अनुमोदित की गई है।

सरकार निर्यात को बढ़ावा देने तथा पारंपरिक क्षमताओं के साथ-साथ प्रौद्योगिकी-आधारित उभरते हुए क्षेत्रों का लाभ उठाते हुए वैश्विक स्तर पर देश के उत्पादों की उपलब्धता का विस्तार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का मूल तत्व एक ऐसा सहायक इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें विशेष रूप से एमएसएमई सहित निर्यातक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पूरे विश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रयास को गतिशील नीतिगत फ्रेमवर्क, सुदृढ़ वित्तीय प्रोत्साहनों, विकसित डिजिटल अवसंरचना, बेहतर व्यापार सुविधाओं तथा नवीनतम व्यापार समझौतों के माध्यम से बाजार तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के दृढ़ प्रयासों द्वारा और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

आरओडीटीईपी स्कीम निर्यातों पर लगाए गए करों को निष्प्रभावी बनाने और भारतीय वस्तुओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। हाल ही में शुरु किए गए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) ने इस प्रयास को दो लक्षित स्तंभों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया है–पहला, किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच का विस्तार करना तथा दूसरा, संपूर्ण निर्यात मूल्य शृंखला में गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग एवं बाजार की तैयारी का उन्नयन करना। सरकार ने 25,060 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31) के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को अनुमोदन प्रदान किया है। यह मिशन 'निर्यात प्रोत्साहन' (जिसका फोकस व्यापार वित्त एवं ऋण संवर्धन पर है) तथा 'निर्यात दिशा' (जिसका फोकस निर्यात लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एवं बाजार पहुंच पर है) के माध्यम से संचालित किया जाता है और विशेष रूप से एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है।

भारत की निर्यात रणनीति एक निर्णायक समग्र-सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो ट्रांजेक्शन संबंधी सहायता से आगे बढ़कर एक लचीला, प्रतिस्पर्धी और भावी तैयार इकोसिस्टम का निर्माण करती है। लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी-सक्षम व्यापार सुविधा, संस्थागत सुधार और सक्रिय बाजार-पहुंच पहलों को शामिल कर, डिजिटल प्रशासन को समाहित करने पर ध्यान केन्द्रित करने, वैश्विक पहुंच का विस्तार और क्षेत्रों में निर्यातक क्षमताओं को मजबूत करने पर है। यह एकीकृत दृष्टिकोण भारत को न

केवल एक प्रतिभागी के रूप में, बल्कि वैश्विक व्यापार में एक विश्वसनीय, प्रौद्योगिकी-संचालित भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

सभी पहलें सम्मिलित रूप से सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं, ताकि विनियामक इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाया जा सके, निवेश को सुगम बनाया जा सके, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके तथा सतत आर्थिक विकास में सहायता प्रदान की जा सके।

अनुबंध-I

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2664 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र

i. एरोस्पेस और रक्षा
ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
iii. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
iv. बायो-टेक्नोलॉजी
v. पूंजीगत वस्तुएं
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. रसायन और पेट्रो रसायन
viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
ix. चमड़ा और फुटवियर
x. खाद्य प्रसंस्करण
xi. रत्न और आभूषण
xii. शिपिंग
xiii. रेलवे
xiv. निर्माण
xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

i. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
ii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
iii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
iv. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
v. लेखा और वित्त सेवाएं
vi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
vii. कानूनी सेवाएं
viii. संचार सेवाएं
ix. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
x. पर्यावरणीय सेवाएं
xi. वित्तीय सेवाएं
xii. शिक्षा सेवाएं
